यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-**IV** वा0क0 हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-**IV** वा0क0 हरिद्वार के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 23.12.2017 से 01.01.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, एवं श्री दीलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 18.01.2016 से 29.01.2016 तक श्री ए.एन. साहु वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व (₹लाख में) |
|---|---|
| 2014-15 | 1198.12 |
| 2015-16 | 1157.92 |
| 2016-17 | 1370.63 |

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | बजट आवंटन | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आयोज नागत | आयोजनेत्तर | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | आयोजनागत | आयोजनेत्तर |
| 2014-15 | | | | | | |
| 2015-16 | | | | शून्य | | |
| 2016-17 | | | | | | |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अ धक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| शून्य | | | | | |

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....ए.... श्रेणी की है।

**(iv)** वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

**(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-**IV** वा0क0 हरिद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-**IV** वा0क0 हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi)** वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

माह मार्च 2016 मार्च 2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

**(vii)** योजना का चयन :- शून्य

**(Viii)** लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 ख

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण `0.33 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

1. कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड-चतुर्थ, वा णज्य कर, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री नमस्कार इलैक्ट्रीकल्स आर्यनगर, ज्वालापुर कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा `2,41,650/- की स्पेयर पार्ट्स की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई थी। जब क उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 के कसी भी अनुसूची से आच्छादित नही है। अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5 प्रतिशत (13.5-5) से `20,540/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा।
2. कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड 4 वा0क0 हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री मलहोत्रा शू प्लाजा, ज्वालापुर, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में `1,50,000/- के जुराब की बिक्री की गई जिस पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से `7500/- का कर आरो पत कया गया था जब क उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार सन्द र्भत प्रकरण में 8.5 प्रतिशत के अन्तरीय दर से `12,750/- के कर का न्यूनारोपण हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतिक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 41/2011-12 | - | 01,02 |
| 39/2015-16 | - | 01,02,03,04,05 |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

## भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**(1)** राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**(2)** व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-**IV** वा0क0 हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (i) | श्री दीपक बृजवाल | सहायक आयुक्त |
| (ii) | श्रीमती कल्पना त्रिपाठी | सहायक आयुक्त |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-**IV** वा0क0 हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र